"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 105] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 मार्च 2013—फाल्गुन 28, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2013 (फाल्गुन 28, 1934)

क्रमांक-4505/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 12 सन् 2013) जो दिनांक 19 मार्च, 2013 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 12 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 34 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 34 की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) एक समन्वय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलाधिपति;
(दो) मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन;
(तीन) भारसाधक मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित;
(चार) भारसाधक मंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित;
(पांच) भारसाधक मंत्री, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग से संबंधित;
(छः) भारसाधक मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित;
(सात) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन;
(आठ) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के कुलपति;
(नौ) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के कुलाधिसचिव;
(दस) प्रमुख सचिव/सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन;
(ग्यारह) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन;
(बारह) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन;
(तेरह) छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव;
(चौदह) राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन गठित विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण."

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

यह महसूस किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 34 की उप-धारा (4) में प्रावधानित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की शक्तियों एवं कार्यों को, इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के द्वारा, और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है तथा इसकी प्राप्ति के लिए उक्त अधिनियम की धारा 34 में संशोधन आवश्यक है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 13 मार्च, 2013

रामविचार नेताम
उच्च शिक्षा मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबन्ध

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की जिन धाराओं में संशोधन प्रस्तावित है उनका उपाबंध निम्नानुसार है :—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 34 (1) "(1) एक समन्वय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे समन्वय समिति अर्थात् :—
(एक) कुलाधिपति;
(दो) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालयों के कुलपति;
(दो-क) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालयों का कुलाधिसचिव;
(तीन) आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़;
(चार) प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग;
(पांच) प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग;
(छ:) छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का सचिव;
(सात) प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
(आठ) राज्य विधान मण्डल के किसी भी अधिनियम के अधीन गठित किये गये विश्वविद्यालयों के कुलपति;"

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.